मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 8, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-4-2000-विक-पांच (74), दिनांक 16 जुलाई, 2002 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रघुवीर सिंह, राज्यमंत्री राजस्व, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-28-सात-शा-8-97-पार्ट-3, दिनांक 8 नवम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का 30 जून, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) के वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 1998 से 30 जून, 1999, 1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2000 तथा 1 जुलाई, 2000 से 30 जून, 2001,

(ग) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001

(घ) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000,

(ङ) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्यप्रदेश) का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000,

(च) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2000 तक तथा 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2000 से 30 जून, 2001 तक,

(छ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001) तथा वर्ष 2001-2002 (1 जुलाई, 2001 से 31 मार्च, 2002); एवं

(ज) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के 30 जून, 2000 तथा 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष,

के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 29 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 2000) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक-शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मुंशीलाल, लालसिंह, मुन्ना सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में कृषकों को पलेवा हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, रीवा जिले के मनगवां एवं दतिया में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के भवन का निर्माण न होने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद जिले के सोहागपुर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(5) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, भूपेन्द्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, जबलपुर से कुंडम जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त होने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बाबूलाल गौर, प्रभाकर सिंह, कुंवर विजय शाह, सदस्य, देवास जिले के ग्राम राजौदा के आदिवासियों की जमीन षड़यंत्रपूर्वक एक निजी कंपनी को बेचे जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) इंजी. फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम उचिया में एक आदिवासी का मकान जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, शहडोल जिले की अमलई पेपर मिल द्वारा प्रदुषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.